परिपत्र संख्या 04/2014

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज., "कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-4(300)(8)स्टा./वेण्डर/ 553-566 दिनांकः 31/3/14

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।

2. समस्त उप महानिरीक्षक, राजस्थान।

परिपत्र

विषय : स्टाम्प वेण्डरों के अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण एवं उनके स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करने के संबंध में निर्देश।

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के अध्याय-5 में स्टाम्प विक्रय करने, स्टाम्प वेण्डरों को अनुज्ञा पत्र जारी करने एवं, उनके अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण करने तथा दैनिक स्टाम्प विक्रय रजिस्टर का संधारण करने की प्रकिया का निर्धारण किया हुआ है। उक्त नियमों के नियम-23 में स्टाम्प वेण्डरों के कर्तव्य, नियम-24 में स्टाम्प वेण्डरों को अनुज्ञा पत्र जारी करने, नियम-32 में स्टाम्प पर अंकित किये जाने वाला विवरण, नियम-33 में स्टाम्प के पीछे अंकित विवरण पर हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता, नियम-34 में विक्रय रजिस्टर का प्रारूप दिया गया है एवं नियम-35 में दैनिक स्टाम्प विक्रय रजिस्टर का संधारण एवं उनके पूर्ण भर जाने पर उन्हें जमा कराने की प्रकिया का निर्धारण किया हुआ है तथा नियम-36 में निर्धारित प्रारूप-डी में दैनिक विक्रय रजिस्टर के संधारण का प्रावधान किया गया है, इन प्रावधानों का अपने कार्यालय में उपलब्ध पुस्तिका से अध्ययन कर इनकी पालना सुनिश्चित की जायें।

विभाग द्वारा समय-समय पर पत्र/परिपत्र जारी कर स्टाम्प वेण्डरों के लाईसेन्स का नवीनीकरण करने एवं उनके रिकॉर्ड को जमा करने के संबंध में निर्देश दिये हुए है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पत्र/परिपत्र संख्या एवं दिनांक	जारी किये गये निर्देशों का विवरण
1	कार्यालय आदेश कमांक एफ.2 (1)सर्त/विविध/ 857 दिनांक 20.12.04	उप महानिरीक्षकगणों को निर्देश दिये जाते है कि स्टाम्प वेण्डरों द्वारा जमा कराये गये पुराने रजिस्टरों को स्वयं अपने समक्ष व्यवस्थित रूप से वर्षवार सील चिपड़ी करवाकर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करेंगे यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी भी स्टाम्प वेण्डर का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर तलब किया जाता है तो बंद सील चिपडी को खोलने से पूर्व मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्ती करेंगे तथा सील खोलते समय स्वयं यह नोट अंकित करेंगे कि किस तिथि को किस कारण से उक्त सील चिपड़ी को खोला गया है। कार्यवाही के बाद रजिस्टर लौटाने पर पुनः सील सील चिपड़ी को खोला गया है। कार्यवाही के बाद रजिस्टर लौटाने पर पुनः सील चिपड़ी करके सुरक्षित यथा स्थान रखेंगे। साथ ही मुख्यालय अजमेर को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रेषित करेंगे। अब तक स्टाम्प वेण्डर्स द्वारा जमा करवाये गये सभी स्टाम्प विक्रय रजिस्टरों को सील चिपड़ी करके 15 दिन में इस बाबत्

F7-42-G

		प्रमाण–पत्र भी मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
2	एफ.4(300)(8)स्टा./वेण्डर/10/2190–2202 दिनांक 20.05.10	स्टाम्प वेण्डरों को जो लाईसेन्स जारी किये जाते है, उनमें जो नम्बर दिये जाते है, जारी किये जाने वाले लाईसेन्स में जिले का नाम व बैठने का स्थान दर्शाते हुए नम्बर डाला जावें। उदाहरणार्थ :– अनुज्ञा पत्र क्रमांक 40/सीकर/श्रीमाधोपुर/2011---- पुराने अनुज्ञा पत्र के समय व नये अनुज्ञा पत्रों को जारी करते समय उक्तानुसार नम्बर दिये जावें।
3	एफ.4(300)(8)स्टा./वेण्डर/1286–1707 दिनांक 04.03.11	यदि स्टाम्प मिलने में कोई कठिनाई हो, इसके लिये यह व्यवस्था की जावें कि यदि स्टाम्प वेण्डर आगामी वित्तीय वर्ष में बेचने हेतु अपने वर्तमान स्टॉक में से कुछ स्टाम्प्स का प्रमाणिकरण संबंधित उप पंजीयक से वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व कराना चाहे तो कर दिया जावें अर्थात् उन स्टाम्प पर आगामी वित्तीय वर्ष की मोहर लगा दी जावें। नये वित्तीय वर्ष के स्टॉक रजिस्टर में इन स्टाम्प्स का यथा समय नियमानुसार स्टॉक में इन्द्राज दर्शाया जावें।
4	एफ.4(300)(1)/स्टा./वेण्डर/2491–2504 दिनांक 27.09.13	राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–35 के अनुसार स्टाम्प वेण्डरों के बिक्री रजिस्टरों को जमा करने का दायित्व आपका निर्धारित है। विभाग के पत्रांक एफ.4 (300)(1)/स्टा./वेण्डर/2430–42 दिनांक 20.09.13 के क्रम में ये निर्देशित किया जाता है कि स्टाम्प वेण्डरों द्वारा जो पुराने रजिस्टर जमा कराये गए है उन रजिस्टरों के अन्तिम पृष्ठ के अन्तिम इन्द्राज के नीचे कॉस लाईने खींची जाकर उक्त पत्र के क्रम संख्या–4 में बतलाये अनुसार प्रमाण–पत्र अंकित किया जावें एवम् उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किये जावें। यह कार्यवाही स्टाम्प वेण्डरों द्वारा जमा करवाये गए सभी रजिस्टरों में पूर्ण की जावें एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र भी मुख्यालय को 15 दिवस में भेजा जावें कि उपरोक्त कार्यवाही संम्पन्न कर ली गई है।

उपरोक्त निर्धारित प्रावधानों एवं उनकी पालना के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम आप द्वारा इन दिनों स्टाम्प वेण्डरों के लाईसेन्सों के नवीनीकरण एवं उनके रिकॉर्ड को जमा कराने का कार्य किया जा रहा होगा। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्टाम्प वेण्डरों के अनुज्ञा–पत्रों का नवीनीकरण करते समय उपरोक्त परिपत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें :–

- अनुज्ञा–पत्र को नवीनीकरण के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व उसके साथ विक्रय रजिस्टर आवश्यक रूप से लिया जायें।
- विक्रय रजिस्टर के अंत में लाईन खींचकर उप महानिरीक्षक/कलक्टर (स्टाम्प्स) द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायें ताकि इसके पश्चात् पुराने रजिस्टर में कोई स्टाम्प विक्रय की कार्यवाही संभव नहीं हो सकें।
- अनुज्ञा–पत्र वर्ष के अंत में स्टाम्प स्टॉक रजिस्टर में शेष रहें स्टाम्प का विवरण एवं राशि का अंकन नये रजिस्टर में कर उसका प्रमाणीकरण अपने कार्यालय की मोहर लगाकर हस्ताक्षर से किया जायें।
- जारी किये जाने वाले नये स्टाम्प रजिस्टर में पूर्व के शेष रहें स्टाम्पों की संख्या का इन्द्राज नये रजिस्टर में अपने वृत्त के उप पंजीयकों के स्तर से करवाया जाकर, उप महानिरीक्षक/कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इसे प्रमाणित किया जा सकता है।

- समस्त स्टाम्प वेण्डरों के स्टॉक रजिस्टर व विक्रय रजिस्टर की अपने स्तर पर जाँच कर यह सुनिश्चित किया जायें कि विक्रय रजिस्टर में कोई क्रम संख्या व कॉलम खाली नहीं है तथा की गई जाँच की दिनांक तथा उस दिनांक तक किस क्रमांक एवं स्टाम्प तक विक्रय किया गया है, का सत्यापन आप द्वारा आवश्यक रूप से किया जावें।
- उपरोक्त समस्त कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर नवीनीकृत किये गये अनुज्ञा पत्रों का सम्पूर्ण विवरण एवं जमा किये गये रजिस्टरों की सूची तैयार कर, उसे अपने स्तर से प्रमाणित कर, इन्हें अपने कार्यालय में सुरक्षित स्थान/कमरें में रखकर उसे अपनी देखरेख में सील चपड़ी करवाकर रखने की कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से विभाग को आवश्यक रूप से सूचित करें।
- स्टाम्प वेण्डरों के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न करवाने के लिये अपने वृत्त के उप पंजीयक कार्यालयों में कार्यरत कुछ कार्मिकों को उक्त कार्य सम्पन्न करने के लिये लगाकर, शीघ्र करवाने की कार्यवाही कर सकते है।
- आगामी 15 अप्रैल, 2014 तक जिन स्टाम्प वेण्डरों के अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण किया गया है, उसकी सूची मुख्यालय एवं संबंधित कोषाधिकारी को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि गैर नवीनीकृत लाईसेन्स के स्टाम्प वेण्डरों को स्टाम्प्स सप्लाई संभव नहीं हो।

उपरोक्त नवीन निर्देशों/प्रावधानों एवं पत्रों/परिपत्रों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करें तथा अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण शीघ्रातीशीघ्र करके लौटाये जायें ताकि अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के अभाव में स्टाम्पों का विक्रय अवरूद्ध नहीं हों तथा आम जनता को स्टाम्पों की कमी नहीं हो।

31.03.14

(एल.एन. सोनी)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-4(300)(8)स्टा./वेण्डर/ 567 - 1130 दिनांकः 31/3/14.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
3. समस्त कोषाधिकारीगण, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2014-15 नवीनीकृत लाईसेन्सों की सूची संबंधित उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा आपको प्रेषित की जा रही है। स्टाम्प सप्लाई करने से पूर्व स्टाम्प वेण्डर के लाईसेन्स की वैद्यता तिथि की जाँच करने के उपरान्त ही उन्हें स्टाम्प, सप्लाई हेतु जारी किये जावें।

31/3/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर